

सरोगेसी कानून

प्रलिस के लयः

सरोगेसी कानून, [सरोगेसी \(वनयडडन\) अधनयडड, 2021](#), डरुडकररी सरुगेसी, वरुणऑडडक सरुगेसी, [संवधरन कर अनुऑऑेड 21](#) ।

डेनुस के लयः

सरुगेसी कानून तथर संबुध ऑुनूतथररु, तंतर, कानून, कडऑरु वरुगुं की सुरकुषर और डेहतररी के लयः गठतः संसुथररु एवं नकररड ।

[सरुतः इंडडडन एकुसडररुस](#)

ऑरुऑर डें कुडरुं?

हरल ही डें डलऱऱी उऑऑ नुडररडरलड ने [सरुगेसी \(वनयडडन\) अधनयडड, 2021](#) के तहत सरुगेसी कर लरड उठरने वरली डहलऱररुं की डरतुरतर के सरुथ उनकी वैवरहकः सुथतऱऱ के संबुध डर सरवल उठररडर है ।

- डरऑकररुतुतर ने सरुगेसी अधनयडड की धररर 2(1)(s) कु ऑुनूतरी डी, ऑे 35 से 45 वरुष की आडु के डरऑ डररररर वधऱवररुं डर तलरकशुडर डहलऱररुं के सरुगेसी कर लरड उठरने के अधकरर कु सीडतऱ करतरी है ।
- डरऑकररुतुतर की डरऑकरर डें उस नडड कु डी ऑुनूतरी डी गरु है ऑे एकल डहलऱ (वधऱवर डर तलरकशुडर) कु सरुगेसी के लयः सुवरुं के डडडड/अणुडरणु कर उडडुग कररने के लयः डऑडूर कररतर है । कऱई डरडलुं डें डहलऱ की उडु अधकऱ डीतरी है, इस सुथतऱऱ डें उसके सुवरुं के डुगडकुं कर उडडुग ऑकरतऱसकीड रूड से अनुऑऑतऱ है तथर वड डरडर डुगडकुं के लयः एक डरतर की तलरश कररतरी है ।

सरुगेसीः

- डरऑडडः
 - सरुगेसी एक ऐसी वडुवसुथर है ऑसऱडें एक डहलऱ (सरुगेऑ) कऱसी अनुड वडकुतुथर डे ऑे (इऑऑतऱ डरतर-डतऱ) की ओर से डऑऑे कु ऑनुड डेने के लयः सरुडत डीतरी है ।
 - सरुगेऑ, ऑसऱे कडु-कडु गरुडकरलीन वरहक डी कहर डरतर है, वड डहलऱ डीतरी है ऑे कऱसी अनुड वडकुतुथर डे ऑे (इऑऑतऱ डरतर-डतऱ) के लयः गरुड धररण कररतरी है और डऑऑे कु ऑनुड डेती है ।
- डरुडकररी सरुगेसीः
 - इसडें गरुडरवसुथर के डूररन ऑकरतऱसर वडुड और डीडर कवररुऑ के अतररकऱुत सरुगेऑ डरुं के लयः कऱसी डुडरुकरऱ डुआवऑे कु शरडलऱ नऱई कडडर गडर है ।
- वरुणऑडडक सरुगेसीः
 - इसडें डुनडडरडी ऑकरतऱसर वडुड और डीडर कवररुऑ से अधकऱ डुडरुकरऱ लरड डर इनरड (नकड डर वसुतु के रूड डें) के लयः की गरु सरुगेसी डर उससे संबुधतऱ डरऑरुडररुं शरडलऱ डें ।

सरुगेसी (वनयडडन) अधनयडड, 2021ः

- डररवधरनः
 - सरुगेसी (वनयडडन) अधनयडड, 2021 के अनुसुतर, 35 से 45 वरुष के डरऑ की आडु की वधऱवर डर तलरकशुडर डहलऱ तथर कऱनूनी रूड से वडडरहतऱ डहलऱ और डुरुष के रूड डें डरडडरषतऱ डुगल सरुगेसी कर लरड उठर सकते है ।
 - सरुगेसी के लयः इऑऑतऱ ऑेडर कऱनूनी रूड से वडडरहतऱ डररररर डुरुष एवं डहलऱ कर डुगल, डुरुष की आडु 26-55 वरुष के डरऑ डुगी तथर डहलऱ की आडु 25-50 वरुष के डरऑ डुगी और उनकर डहले से कुई ऑैवकऱ, गुड लडडर डुआ डर सरुगेऑ डऑऑर नऱई डुगल ।
 - डर वडरवसरडक सरुगेसी डर डी डरतडुडुध लगरतर है, ऑसऱके लयः 10 वरुष कर करररगुरह और 10 लरख रुडड तक कर ऑुरुडरनर डु सकतर

है।

- कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है, साथ ही सरोगेट माँ का/की आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई सम्बन्ध/ जान-पहचान होनी चाहिये।

■ चुनौतियाँ:

- **सरोगेट और बच्चे का शोषण:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतर्बिध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी नरिणय लेने की स्वायत्तता और मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिये और बच्चे के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। हालाँकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में वफिल रहे हैं।
- **पतिव्रतात्मक मानदंडों की सुदृढता:** यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पतिव्रतात्मक मानदंडों को सुदृढ करता है जो महिलाओं के कार्य को कोई आर्थिक मूल्य नहीं देते हैं और **संवधान के अनुच्छेद 21** के तहत प्रजनन के लिये **महिलाओं के मौलिक अधिकारों** को प्रत्यक्ष रूप से **प्रभावित करते हैं**।
- **भावनात्मक जटिलताएँ:** परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त अथवा रश्तेदार न केवल भावी माता-पिता के लिये बल्कि सरोगेट बच्चे के लिये भी भावनात्मक जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रश्ते को लेकर समस्याएँ हो सकती हैं।
 - परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपति के लिये सरोगेट माँ चुनने के विकल्प को भी सीमिति कर देती है क्योंकि बहुत ही सीमिति रश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार होंगे।
- **तीसरे पक्ष की भागीदारी न होना:** परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि **इच्छति युगल** सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चकितिसा और अन्य विधि **खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा**।
 - कुल मिलाकर, एक तीसरा पक्ष इच्छति युगल और सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया से गुज़रने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता है।
- **सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित कुछ शर्तें:**
 - सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये अवविहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लवि-इन पार्टनर्स और समान-लगि वाले युग्मों को बाहर रखा गया है।
 - **यह वैवाहिक स्थिति** लगि एवं यौन रुज़ान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये बदलाव:

- मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने **प्रदाता युग्मों के उपयोग पर प्रतर्बिध** लगाते हुए कानून में संशोधन किया।
 - इसमें कहा गया है कि "इच्छुक जोड़ों" को सरोगेसी के लिये अपने स्वयं के युग्मों का उपयोग करना होगा।
- इस संशोधन को **महिला के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती** देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
- न्यायालय के अनुसार, **शशि का माता या पति से आनुवंशिक संबंध होना चाहिये**।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून "महिला-केंद्रित" है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शशि को जन्म देने का नरिणय महिला की चकितिसीय या जन्मजात स्थतिके कारण **माँ बनने में असमर्थता पर आधारित** है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब **सरोगेसी नयिमों का नयिम 14(a)** लागू होता है, जो **चकितिसा या जन्मजात स्थतियों** को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को **गर्भकालीन/जेस्टेशनल सरोगेसी** का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छति जोड़े, विशेषकर पति से संबंधित होना चाहिये।
 - **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला **दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिये एक बच्चे को जन्म देती है**। इसमें सरोगेट मद्र बच्चे की बायोलाजिकल माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर/प्रदाता पति के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट-ट्यूब के तहत नरिचन कराने के बाद इसे सरोगेट मद्र के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिये सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम, 2021 के नयिम 7 को प्रतर्बिधित किया है जो **मेयर-रोकितिसकी-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सडिरोम** (एक असामान्य जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डमिब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के करयानवयन की अनुमति दी जा सके।
 - सरोगेसी अधिनियम का नयिम 7 प्रक्रिया के लिये प्रदाता डमिब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतर्बिध लगाता है।

आगे की राह

- समावेशिता, नैतिकता और चकितिसा प्रगतपर ध्यान केंद्रित करके भारत **सरोगेसी के लिये एक ऐसा मज़बूत कानूनी ढाँचा स्थापित** कर सकता है जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, इसमें शामिल सभी पक्षों की भलाई सुनिश्चित करता है तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवार शुरू करने के इच्छुक लोगों का समर्थन करता है।

